

सम्पत्ति अवमार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1269 2017

आवेदन संख्या: 1255-20 17

चूँकि किंग ऑफ़ द जंगल, मद्रास ने मेरे पास आवेदन किया है कि मिलिखित सम्पत्ति के सम्बंध में निम्नलिखित संव्यवहारों अवमरो का सविचरण प्रमाण-पत्र दिया जाय। जीवन दाता

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले संयवहारों और अवधारों के धारे में और उससे सम्बंध अनुक्रमणियों में ता. 19.8.20 से ता. 11/7/17 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद कोई संयवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है—

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षकारों का नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्दस	वर्ष	पृष्ठ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	मौजा		खाना -	9				
	गोपालगढ़		खेस -	3				
	धाना ईंठ		रकबा -	41.2275	04			
	108	12/9/17						
	मौजा		खाना -	01				
	बराकगढ़		खेस -	11	र.ग.			
	धाना ईंठ		रकबा -	2	41.2275	01	04	
	109							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक-पत्र को दशा में व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

(2)

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उक्त सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) *हरीश चक्रवर्ती*
(पदनाम) U.D.C.

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :-

(हस्ताक्षर) *सुनील कुमार*
(पदनाम) U.D.C.

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

तारीख :- 12/9/17

मुखर



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

12/9/17

टिप्पणी :-

(1) ☒ इन प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार लिखे गये हैं, आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है तो वैसी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजक्शड) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) ☒ निबंधित अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति दहियों और अनुक्रमणियों (एन्डवाइस) की प्रतिष्ठिया देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर दहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेगी।

(3) ☒ किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरोसे सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिये किसी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(4) ☒ और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा बुंदे गये संव्यवहारों की सत्यापन के प्रमाण-पत्र में दिया गया है इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न बुंदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवारी न होगा जिससे उक्त व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है।

पत्रांक-1269

दिनांक-12/9/17

राज्या प्रबंधक *के.के. सिंह* के पत्र दिनांक *12/9/17* के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

12/9/17

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION & FEE

Office of the District Sub Registrar.....
Application No. 18958 Date of Application 28/11/17
Name of Applicant अनिल किशोर पुरिजा लीन नमो
Purpose of Application मौजा 2 लीन नमो
Search for certified copy Deed no. Year 1988 to 2017
Office of Registration मौजा 2 Fee paid-Searching
fee Rs. 1240/- Copying Fee Rs. 2/- Total Rs. 1240/-

Signature of Record Keeper